

प्रारूप-एक  
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013  
की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है अर्थात् :-


जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हे0में)	लोक प्रयोजन का विवरण
रायगढ़	तमनार	नवापारा	0.387 हे0	लोक निर्माण विभाग द्वारा पुलिया निर्माण


उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जनसुनवाई दिनांक १० फरवरी, 2018 को समय दोपहर 2.00 बजे से 400 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन जरेकेला पर नियत की गई है।

प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

- |  |   |
|--|---|
| (1) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण:-   | जरेकेला-नवापारा के पुलिया निर्माण कराया जावेगा। |
| (2) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या:-   | 10  |
| (3) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या :-   | निरंक   |
| (4) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या :-                | 66 वृक्ष  |
| (5) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या:-               | निरंक   |
| (6) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है-  | हां   |
| (7) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है:-                               | हां   |
| (8) परियोजना की कुल लागत:-   | 15,00,277-00 (जरेकेला-नवापारा पुल निर्माण)      |
| (9) परियोजना से होने वाला लाभ :-   | जन सुविधा के लिये आवागमन सुविधा                 |
| (10) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली प्रभावित व्यय:- | (मूल्य लगभग 50,000-00 रुपये)                    |
| (11) परियोजना द्वारा प्रभावित अन्य व्यय घटांक:-  | निरंक   |

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

  
10/01/18  
अनुविभागीय अधिकारी (रा)  
घरघोड़ा जिला रायगढ़

  
(शम्मी आबिदी)  
कलेक्टर  
रायगढ़ (प्र.ग.)

प्रारूप-एक  
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013  
की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा  
आशयित है अर्थात् :-


जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हे0में)	लोक प्रयोजन का विवरण
रायगढ़	तमनार	जरेकेला	0.456 हे0	लोक निर्माण विभाग द्वारा पुलिया निर्माण


उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु  
जनसुनवाई दिनांक 28 फरवरी, 2018 को दोपहर 2.00 बजे से 4.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत  
भवन जरेकेला पर नियत की गई है।

प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

- |   |  |
|---|--|
| (1) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण:-  | जरेकेला-नवापारा के पुलिया निर्माण<br>कराया जावेगा।               |
| (2) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या:-  | 04   |
| (3) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या :-  | निरंक  |
| (4) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य<br>परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या :-                  | 73 वृक्ष   |
| (5) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य<br>परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या:-                 | निरंक  |
| (6) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है-   | हां  |
| (7) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर<br>विचार कर लिया गया है:-                                 | हां  |
| (8) परियोजना की कुल लागत:-  | 34,33,853-00 (जरेकेला-नवापारा पुल निर्माण)                       |
| (9) परियोजना से होने वाला लाभ :-  | जन सुविधा के लिये आवागमन सुविधा<br>( मूल्य लगभग 50,000-00 रुपये) |
| (10) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति<br>के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली<br>संभावित व्यय:- |  |
| (11) परियोजना द्वारा प्रभावित अन्य व्यय घटांक:-   | निरंक  |

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव  
देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

  
10/01/18  
अनुविभागीय अधिकारी (रा)  
घरघोड़ा जिला रायगढ़

  
(शमी आबिदी)  
कलेक्टर  
रायगढ़ (छ.ग.)